

अनुदान संख्या 4 - कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 4-MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	667,02,00		
पूरक	Supplementary	50,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	717,02,00	669,07,51	-47,94,49
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	61,00	60,00	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचत (4794.49 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 5000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 96 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.4794.49 lakhs) constituted 96 percent of the supplementary grant of Rs.5000.00 lakhs obtained in February, 2004 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"			
ग्राम तथा लघु उद्योग	Village and Small Industries			
मू.	O.	60852.00		
पू.	S.	4500.00	66831.66	66824.11
पु.	R.	1479.66		-7.55

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	5750.00		
पू.	S.	500.00	0.34	-0.34
पु.	R.	-6249.66		

(I) 6250.00 लाख रु. का प्रावधान (500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने और साथ ही सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्ययगत न होने वाले पूल के अंतर्गत उपयोग किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अनुसंधान और विकास - एस और टी योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान" - 120.00 लाख रु. की बचत (1095.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी आने के कारण हुई। कॉयर बोर्ड द्वारा अनुमोदन के लिए कोई नई स्कीम प्रस्तुत नहीं की गई तथा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किन्हीं निधियों की मांग नहीं की गई थी।

(खा) "खादी और ग्रामोद्योग - खादी और ग्रामोद्योग आयोग"- 4376.00 लाख रु. की बचत (24036.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 72.31 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 80 प्रतिशत थी।

(I) Provision of Rs. 6250.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.500.00 lakhs) remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Provision for North Eastern Region and Sikkim" - due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region from concerned functional heads and also utilisation under non-lapsable pool for North Eastern Region including Sikkim.

(II) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Research and Development - Provision for Implementation of S&T Plan" - saving of Rs.120.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1095.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage. No new scheme was submitted by the Coir Board for approval and no funds were demanded by the Khadi and Village Industries Commission.

(B) "Khadi and Village Industries - Khadi and Village Industries Commission" - saving of Rs. 4376.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 24036.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to availability of unspent balances of previous year.

(III) Under one head saving of Rs.72.31 lakhs occurred constituting 80 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4550.00 लाख रु) प्रयुक्त हो गईं; जैसा कि मुख्य शीर्ष “2851” - “अन्य ग्रामोद्योग - ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम - एच पी सी की सिफारिश को लागू किया जाना” के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2851” - “बिरोजगार शिक्षित युवकों के लिए रोजगार स्कीम - प्रधानमंत्री रोजगार योजना” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 1566.69 लाख रु. का अधिक व्यय (15210.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य शीर्ष “2552” से पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किए जाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, मुख्य शीर्ष “4552” - “पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय” के अंतर्गत एक मामले में 50.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2.(I) The above savings were partly (Rs.4550.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant under Major Head “2851” - “Other Village Industries - Rural Employment Generation Programme - Implementation of Recommendation of HPC”.

(II) The savings were also offset by excess under Major Head “2851”- “Employment Scheme for Unemployed Educated Youth – Prime Minister Rojgar Yojana” – excess of Rs.1566.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 15210.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim met by re-appropriation from Major Head “2552”.

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.50.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head “4552” – “Capital Outlay on North Eastern Areas”.